बैठक प्रतिवेदन

पिछले दिनो 16 जुलाई 2010 को गॉस मेमोरियल सेन्टर, रायपुर मे विस्थापन एवं वन भूमि अधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन पर सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे प्रदे ाभर से स्वेच्छिक संस्थाएँ, जन संगठन एवं राजनेतिक दलो के वरिश्ठ साथी जिसमे प्रमुख रुप से गोणवाना गणतंत्र पार्टी के राश्टीय अध्यक्ष श्री हीरा सिह मरकाम, छत्तीसगढ मुक्ति मार्चा के श्री अध्यक्ष जनक लाल ठाकुर, विस्थापन विरोधी मंच से श्रीमति सुधा भरद्वाज एवं भारत जन आंदोलन से श्री विजय भाई भाामिल हुए।

औपचारिक स्वागत के साथ के चर्चा की भाुरुवात करते हुए राजू सेमसंग ने एजेंडे पर अपनी बात रखी तत्प चात रजत चौधरी ने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 के संबंध मे राज्य मे कोई हलचल नही है और ना ही भाासन के द्वारा कानून के क्रियान्वयन को लेकर कोई गम्भीर आदे ा जारी किये जा रहे है। संगठनात्मक प्रयास से सामुदायिक दावो को भरवाया जा रहा है लेकिन भाासन द्धारा दावा स्वीकार नही किये जा रहे है। वर्तमान समय मे वन विभाग के द्वारा लोगो की जमीन पर जबरन वक्षारोपण किया जा रहा है जिसे रोकने के लिये व्यापक दबाव बनाना आव यक है।

आलोक भाुक्ला ने प्रदे ा मे विस्थापन एवं वन अधिकार कानून 2006 की वर्तमान परिस्थति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रदै ा मे हमारा संधर्श वन अधिकार कानून आने के बाद सिर्फ पटटे तक सीमित रह गया है जबकि वन अधिकार कानून 2006 जंगल पर समुदाय के सामुदायिक अधिकार की बात करता है। राज्य भाासन द्वारा पटटे वितरण के संबंध मे दिये गए ऑकडे बहुत ही भ्रामक है। केन्द्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट मे वन अधिकार पत्रक की संख्या 31 जनवरी 2010 तक 214633 बताई गई है जबकि वन विभाग के वार्शिक प्रतिवेदन 2009–2010 दिसंबर 2009 तक यह संख्या 104787 बताई गई है। पूरे प्रदे ा मे विकास के नाम पर लोगो को उजाडा जा रहा है पिछले पॉच वर्शो मे लगभग 60 हजार हेक्टेयर जमीन मे माईनिंग परियोजनाओ के लिये स्वीकृति दी गई है।

विस्थापन विरोधी मंच से सुधा भारद्वाज जी ने कहा कि जसपुर मे 17 जगहो पर विस्थापन के विरोध मे लोग संधर्श कर रहे है और भाासन के द्वारा संधर्श मे भाामिल लोगो के खिलाफ के ा किये जा रहे है। आज दे ा के अंदर इस मुद्वे को उठाना होगा आव यक है कि विकास क्या है ।

वंचितो का संसद के ज्ञानाधर भाास्त्री ने कहा कि कोरिया के घाघरा गॉव के दो आदिवासियो को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है और वन अधिनियम 1927 की घारा 33,34 के अनुसार लोगो के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

जन अधिकार मंच से रेणुका इक्का जी ने कहा कि गंगरेल बांध के विस्थापितो को 2–3 बार विस्थापित किया गया है। ग्राम फूटामुढा,सियासदाई,एवं बासपारा के 94 लोगो के दावो को खरिज कर दिया गया है जिसके खिलाफ 9 सितंबर 2009 को अपील लगाई गई थी। 17 मार्च को DFO,SDO ने स्थल निरीक्षण कर अपात्र करने की प्रक्रिया को गलत ठहराया।

भारत जन आंदोलन के विजय भाई ने कहा कि 40 साल पहले झारखंड मे 66 प्रति ात आदिवासी थे लेकिन आज 26 प्रति ात बचे है। दे ा मे 8 प्रति ात आदिवासी 15 प्रति ात भू–भाग पर है साथ ही दे ा का 45 प्रति ात इलाका अनुसूचित है जो खनिज संसाधनो से परिपूर्ण है जिसके कारण आदिवासियो को जंगल से हर संभव विस्थापित करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। वन अधिकार कानून आने के बाद छत्तीसगढ मे 26720 हेक्टेयर जमीन कंपनी को दी गई है। कानून मे जंगल पर सामूहिक अधिकार दिया गया है जो आदिवासियो के परंपरागत अधिकारो को सुनि ित करता है लेकिन इसे पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया है। कानून के सही क्रियान्वयन से दे ा का 8 प्रति ात जंगल आदिवासियो हो जायेगा।

गोणवाना गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि आज छत्तीसगढ को बचाने की आव यकता है जिसके लिये लोगो को सडक पर आकर संधर्श करना पडेगा साथ ही हमे राज्यपाल व मुख्यमंत्री से सीधी बात करनी चाहिए।

छत्तीसगढ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जनक लाल ठाकुर ने कहा कि हमे जमीनी संगठन को मजबूत करना पडेगा तभी सभी मुद्दे हल हो पायेगे। जल, जंगल, जमीन की लडाई को एक साथ जोडकर देखना होगा।

,,,,,, के के ाव भोरी ने कहा कि पूरे बस्तर मे आदिवासियो को विस्थापित किया जा रहा है हजारो आदिवासी अपने गॉव को छोडकर पडोसी राज्यो मे चले गए है। आज आव यकत्ता हे कि राज्य की जन विरोधी नीतियो का व्यापक विरोध किया जाए।

आदिवासी जन अधिकार संगठन के बेनीपुरी ने कहा कि वन अधिकार कानून के संबंध मे लोगो को विस्तत जानकारी का अभाव है जिसक कारण क्रियान्वयन मे मजबूत भूमिका निभा पाना मुि कल होता है।

जन अधिकार संघ के कुमार गिरी ा ने कहा कि

बैठक मे सभी साथियो के द्वारा उठाये गये मुद्वो के आधार पर सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि जल जंगल जमीन पर समुदाय के हको को सुनि चत करने के लिये व्यापक रुप मे प्रजातांत्रिक तरीको से समुदाय की आवाज को बुलंद करन की आव यकत्ता है जिसके लिये संपूर्ण छत्तीसगढ को बचाने आंदोलन की भारूवात की जायेगी।

निर्णय :

1 – 9 अगस्त को अंतराश्टीय आदिवासी दिवस के अवसर पर रायपुर मे रैली आयोजित की जायेगी।

2 – रेली का आयोजन का आयोजन सामूहिक रूप से **छत्तीसगढ बचाओ आंदोलन** के नाम से किया जायेगा

3 – आंदोंलन मे मुख्य रूप से निम्न मुद्वो को फोकस किया जायेगा।

– विस्थापन।

– सामुदायिक संसाधनो पर समुदाय का अधिकार।

– वन अधिकार कानून 2006 का क्रियान्वयन।

– भाासन की दमन.कारी नीति का विरोध।

4 – पर्चा / पोस्टर बनाया जायेगा जिसे लोग आसानी से पढ सके।

5 – कोर कमेटी का गठन किया गया जिसमे निम्न लोग भाामिल है।

हीरा सिह मरकाम	–	राश्टीय अध्यक्ष गोणवाना गणतंत्र पार्टी, बिलासपुर
जनक लाल ठाकुर	–	अध्यक्ष छत्तीसगढ मुक्ति मार्चा, दल्लीराजहरा
श्रीमति सुधा भरद्वाज	–	विस्थापन विरोधी मंच, बिलासपुर
रजत चौधरी	–	कासा, रायपुर
राजू सेमसंग	–	ईज्जत से जीने का अधिकार अभियान, दुर्ग
के ाव भाोरी	–	कांकेर
संजय भार्मा	–	एस जी एस एस एस सरगुजा
सलीमुद्वीन	–	एकता परिशद, छुरा, रायपुर
आलोक भाुक्ला	–	ईज्जत से जीने का अधिकार अभियान, रायपुर
कुमार गिरी ा	–	जन अधिकार मंच, कोरिया

6 – कार्यक्रम का समन्वयन व प़त्राचार की जिम्मेदारी निम्न साथियो की है।

रजत चौधरी

आलोक भुक्ला

भयाम सिंह मरकाम

7 – कार्यक्रम हेतु आव यक संसाधन सामहिक रूप से जुटाये जायेगे जिसमे सभी संगठन पैसा करेगें।

आमंत्रण पत्र

प्रति,

.....

.....

प्रिय साथी,

जिंदावाद !

विशय : अंतराश्टीय आदिवासी दिवस के अवसर पर रैली के संदर्भ मे।

संसाधनो पर समुदाय के अधिकारो, वन अधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन एवं विस्थापन के विरोध मे प्रदे ा के जन संगठनो, राजनैतिक दलो एवं स्वयंसेवी संस्थाओ के द्वारा संयुक्त रूप से 9 अगस्त **अंतराश्टीय आदिवासी दिवस** के अवसर पर रैली का आयोजन किया गया है। तत्संबंध मे दिनांक 16 जुलाई 2010 को गॉस मेमोरियल सेन्टर, रायपुर मे सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया था जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। **रैली छत्तीसगढ बचाओ आंदोलन** के तहत आयोजित की जायेगी जो सुबह 11 बजे से रेलवे स्टे ान से भुरू होकर गांधी चौक पर सभा के रूप मे परिवर्तित होगी।

अतः आप से निवेदन है कि भारी संख्या मे रैली मे भाामिल होकर छत्तीसगढ राज्य को बचाने के आहवान को मजबूत करे, और एक सुन्दर व खु ाहाल छत्तीसगढ के निमार्ण मे सहभागी बने।

धन्यवाद!

भवदीय

छत्तीसगढ बचाओ आंदोलन

हीरा सिह मरकाम राश्टीय (अध्यक्ष गोणवाना गणतंत्र पार्टी बिलासपुर) जनक लाल ठाकुर (अध्यक्ष छत्तीसगढ मुक्ति मार्चा, दल्लीराजहरा) श्रीमति सुधा भारद्वाज (विस्थापन विरोधी मंच बिलासपुर) रजत चौधरी (कासा, रायपुर) राजू सेमसंग (ईज्जत से जीने का अधिकार अभियान दुर्ग) के ाव भाोरी(दि ाा समाज सेवी संस्था कांकेर) संजय भार्मा (एस जी एस एस एस सरगुजा) सलीमुद्वीन (एकता परिशद, छुरा, रायपुर)आलोक भाुक्ला (ईज्जत से जीने का अधिकार अभियान, रायपुर) कुमार गिरी ा (जन अधिकार मंच, कोरिया) ज्ञानाधर भाास्त्री (वंचितो का संसद) रेणुका ईक्का (जन अधिकार मंच धमतरी) बेनी पुरी (आदिवासी जन अधिकार मंच) जुलेखा जबी (मुस्लिम महिला आंदोलन रायपुर) मुरली धर चन्द्रम (सजन केन्द्र डभरा) मेंहदी लाल यादव (ग्राम विकास संस्थान) रामकुमार सिंह (ग्राम अधिकार मंच सरगुजा) बलराम (जन भाक्ति संगठन मोहला) नरे ा गुप्ता(श्री गांधी सेवा आश्रम) ओम प्रका ा बधेल (खेतिहर श्रमिक परिशद,उदयपुर ,सरगुजा)